न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सूरज सिंह नेगी,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 77/2023

प्रविष्टि दिनांक 04.09.2023

वकीला पत्नी राशिया जाति कंजर निवासी दूनी जिला टोंक राज.

–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार दूनी, तहसील दूनी जिला टोंक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. ले. रे. एक्ट 1956 विरूद्ध निर्णय तहसीलदार दूनी दिनांक 28.12.2022

उपस्थिति : (1) श्री पवन कुमार जैन, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना, नायब तहसीलदार, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 12.01.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दूनी ने अपने आदेश दिनांक 28.12.2022 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि आराजी खसरा नम्बर 5726 रकबा 0.25 हैक्टेयर किस्म चरागाह वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर राजस्व लगान राशि 2.00 रूपये का 50 गुना जुर्माना कुल 100 रू शास्ति अदा करने तथा 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किए जाने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार दूनी के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। अपीलान्ट के विरूद्ध पूर्व में बेदखल की कोई साक्ष्य अस्तित्व में नहीं हैं जिससे सिविल

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

कारावास से दण्डित करने का निर्णय गलत रूप से पारित किया गया है जो चलने योग्य नहीं है। अपीलान्ट द्वारा व अन्य व्यक्तियों के द्वारा भूमि पर काश्त की गयी थी उसकी तहसीलदार द्वारा नीलामी कर बोली के आधार पर फसलें छोडी है इस कारण अतिक्रमण का कोई मामला नहीं बनता है, पटवारी हलका के बयानों में पूर्व का कोई निर्णय प्रदर्शित नहीं हुआ है। वर्तमान में अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है, अपीलान्ट ने कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में भी अतिक्रमण व कब्जा करने की कोई भावना नहीं है। अपीलान्ट अनपढ, भूमिहीन व वृद्ध काश्तकार है जो कब्जा छोडने व भविष्य में कब्जा न करने के लिए शपथ पत्र तथा अन्डरटेकिंग भी प्रस्तुत कर रही है। इस कारण सिविल कारावास का निर्णय अपास्त करने योग्य है। अपीलान्ट को पूर्व में निर्णय की जानकारी नहीं दी गयी तथा कोई सूचना भी नहीं दी थी इस कारण समय पर अपील प्रस्तुत नहीं की जा सकती, दिनांक 23.08.2023 को राजस्व कर्मचारियों द्वारा बताने पर तथा उक्त निर्णय की जानकारी करने पर सलाह मिलने पर नकल की दरख्वास्त दी जिस पर नकल मिलने से अन्दरमियाद अपील प्रस्तुत की जा रही है। विलम्ब माफ करने के लिए धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दूनी का निर्णय दिनांक 28.12.2022 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलांट को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है किन्तु अतिक्रमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल संख्या 525/2022 निर्णय दिनांक 17.10.2022 से निर्णय पारित किया जाकर बेदखल कर दिया गया था किन्तु अपीलांट ने पुनः उक्त भूमि पर काश्त कर भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किया है। अतिक्रमी सरकारी चरागाह भूमि पर बार बार अतिक्रमण करने की आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामील हुई है किन्तु अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुई है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नं. 5726 रकबा 0.25 हैक्टेयर किस्म वाके ग्राम दूनी पर सरसों की बुवाई कर अतिक्रमण किया था। अतिक्रमित भूमि सार्वजनिक उपयोग की गैर मुमकिन चरागाह भूमि हैं जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

1955 की धारा 16 में विहित सार्वजनिक उपयोग की प्रतिबन्धित राजकीय भूमि की श्रेणी में आती है जिस पर बोई गयी फसल को तहसीलदार द्वारा अपने कब्जे में लेकर दिनांक 06.02.2023 को नीलाम कर बोली के आधार पर फसलें छोडी है। अपीलांट के अभिभाषक का कथन हैं कि अपीलान्ट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और वह भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करेगी। इस संबंध में शपथ पत्र भी पेश कर दिया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.12.2022 के जरिये लगाया गया अर्थ दण्ड व बेदखल करने की कार्यवाही यथावत रखी जाती है, परन्तु सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर स्थगित की जाती है कि तहसीलदार दूनी यह सुनिश्चित करेगे की अपीलांट ने अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा हटा लिया है। पटवारी हल्का द्वारा राजहित मे उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है। अपीलांट द्वारा कब्जा नहीं हटाने की स्थिति में या भविष्य में किसी अन्य सरकारी भूमि पर कब्जा करने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(डॉ. सूरज सिंह नेगी)
अति.जिला कलेक्टर,
टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक